

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

No. संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-...../294

Patna, Dated. 14/03/2024

FORM- 5
[See regulation 6]

CONSENT OF AFFILIATION

Bihar University of Health Sciences, Patna has agreed in principle, to affiliate **BAMS Course (Intake Capacity-100 Seats)** of **Himalaya Ayurvedic Medical College & Hospital, Chiksi, Paliganj, Patna-801110** for **Session-2024-25** for subject to grant of permission by the Government of India, Ministry of AYUSH, New Delhi under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

This Consent of Affiliation shall be valid for processing of application at NCISM, New Delhi for academic year 2024-25 only.

The issuance of this letter alone will not confer any right on the above-mentioned college to start the course/admit students.

By the Order of the Vice Chancellor,



A. K. Pandey
14-3-24
(Amarendra Kumar Pandey)

Registrar I/c

Bihar University of Health Sciences
Patna

Copy to:- President, MARB, NCISM, New Delhi-110026.

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना


पटना, दिनांक 30/08/2023

अ.सं.-संबं0-6032/2023-570 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-11.08.2023 को गैर-सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Ayurved College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital	Muzaffarpur	BAMS	50
2	Dayanand Ayurvedic Medical College & Hospital	Siwan	BAMS	60
			MD (Kayachikitsa)	04
			MD (Dravyaguna Vigyan)	04
3	Himalaya Ayurvedic Medical College & Hospital	Patna	BAMS	100
4	Swami Raghvendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya & Chikitsalaya	Gaya	BAMS	60


नियम एवं शर्तें:-

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र-2023-24 हेतु संबंधित National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), New Delhi से नामांकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना NCISM, New Delhi की अनुमति प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमति प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।



5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा NCISM, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। NCISM, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में NCISM, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/NCISM, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ NCISM, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार


30/8/2023


(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापक : संब.-6032/2023-570 / पटना, दिनांक 30/08/2023

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित आयुर्वेद महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/8/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना



**ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY,
MEETHAPUR, PATNA – 800 001**

Contact:- 0612-2351919, akuniv10@gmail.com

Ref. No. 006/Affili/376/AKU/2020- 2971

Date: 11-09-2021

CONSENT OF AFFILIATION

(for starting of course)

On basis of the report of the Inspection team of the University, who visited the institute on 20/08/2021, the Aryabhatta Knowledge University, Patna has agreed in principle to affiliate the **Himalaya Ayurvedic Medical College and Hospital**, with an annual intake capacity of **100** (One hundred) seats, to be established at Vill-Chiksi, P.S.-Sigori, Sub-Division - Paliganj, Patna, Bihar - 801110, subject to the grant of permission by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

This Consent of Affiliation shall be valid for processing of application upto academic year 2023-24.

By order of the Vice-Chancellor

gn 11-9-21

Registrar

Aryabhatta Knowledge University, Patna

Narveets